

न्यायालय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

समक्ष

एस०एस०अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : २८३८-एक/२०१२ - विरुद्ध आदेश दिनांक १९-७-२०१२- पारित द्वारा - अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना - प्रकरण क्रमांक १४/२०११-१२ निगरानी

१- बैजनाथ पुत्र पन्नालाल

२- शिवदयाल पुत्र पन्नालाल

निवासीगण ग्राम कतरौल

तहसील मेहगाँव जिला भिंड

---आवेदकगण

विरुद्ध

कमलादेवी (फोत) पत्नि मेवाराम

वारिस

१- महावीर २- राजकुमार पुत्रगण

मेवाराम मुरैना रोड, मेहगाँव जिला भिंड

---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री रामसेवक शर्मा)

(अनावेदक के अभिभाषक श्री एस०के०बाजपेयी)

आ दे श

(आज दिनांक ११ - ८ - २०१४ को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक १४/२०११-१२ निगरानी में पारित आदेश दिनांक १९-७-२०१२ के विरुद्ध म०प्र०भू राजस्व संहिता, १९५९ की धारा ५० के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

२/ प्रकरण का सारोँश यह है कि स्वर्गीय कमलादेवी पत्नि मेवाराम ने ग्राम कतरौल स्थित कुल किता ८ कुल रकबा ८.२६ में से हिस्सा १/२ पर विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण किये जाने हेतु तहसीलदार मेहगाँव को आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर से प्रकरण क्रमांक १३/०४-०५ अ-६ पैजीबद्ध

कर कार्यवाही प्रारंभ हुई। पेशी ६-१-०९ को पक्षकार के अनुपस्थित रहने पर प्रकरण अदम पैरबी में निरस्त हुआ, किन्तु संहिता की धारा ३५ (३) का आवेदन प्रस्तुत होने पर अंतरिम आदेश दिनांक ३०-४-१० से प्रकरण पुर्णस्थापित किया गया। इस आदेश के विरुद्ध कलेक्टर जिला भिण्ड के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। कलेक्टर जिला भिण्ड ने प्रकरण क्रमांक ५९/०९-१० निगरानी में पारित आदेश दिनांक १९-११-२०११ से निगरानी निरस्त कर दी। इस आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना ने प्रकरण क्रमांक १५/२०११-१२ निगरानी में पारित आदेश दिनांक १९-७-२०१२ से निगरानी निरस्त की। इसी आदेश से व्ययित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।


३/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ व्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

४/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव अधीनस्थ व्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि कलेक्टर जिला भिण्ड ने प्रकरण क्रमांक ५९/०९-१० निगरानी में पारित आदेश दिनांक १९-११-२०११ के पद ५ में विवेचित किया है कि रिकार्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि अनावेदक अभिभाषक के अनुपस्थित रहने के कारण प्रकरण अदम पैरबी में समाप्त किया गया है। व्यायादान की दृष्टि से अभिभाषक की त्रुटि के लिये संबंधित पक्षकार को व्याय से बंचित नहीं किया जाना व्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त प्रश्नाधीन आदेश से निगरानीकर्तागण के स्वत्वों का किसी प्रकार से हनन होना भी प्रमाणित नहीं है क्योंकि दोनों ही पक्षकारों को पक्ष समर्थन करने के लिये पर्याप्त अवसर है। अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना ने आदेश दिनांक १९-७-२०१२ में निष्कर्ष

दिया है कि रेवेन्यू निर्णय १९८५ पृष्ठ २३ मीरा लोचन विरुद्ध कुँअरवाई में यह अभिनिधारित है कि व्यायहित में मामला नंबर पर लिया गया या वकील की त्रुटि का पक्षकार पर कुप्रभाव नहीं पड़ने दिया गया। तहसीलदार मेहगाँव के प्रकरण क्रमांक १३/०४-०५ अ-६ के अवलोकन पर पाया गया कि उन्होंने इस प्रकरण में अंतिम आदेश दिनांक १२-९-२०१२ पारित करके नामान्तरण के मामले का अंतिम निराकरण कर दिया है जिसके

कारण विचाराधीन निगरानी में कलेक्टर जिला भिण्ड के आदेश दिनांक 19-11-2011 एंव अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के आदेश दिनांक 19-7-2012 में एकरूपता लिये हुये निकाले गये निष्कर्षों में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 15/2011-12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19-7-2012 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।



(एस०एस०अली)

सदस्य

राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर

